

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSPTCL-06/2017  
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

**विषय:** बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021-22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के०मी० के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की स्वीकृत योजना एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-3488 दिनांक-20.11.2017 के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021-22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के०मी० के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-3488 दिनांक-20.11.2017 के द्वारा 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रुपये एवं विभागीय राज्यादेश संख्या-513 दिनांक-21.02.2019 के द्वारा 25.3871 करोड़ (पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये अर्थात् कुल 45.3871 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि 45.3871 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के द्वारा माँग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021-22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के०मी० के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की स्वीकृत योजना एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-विजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-05-संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।
5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-06/2017 के पृष्ठ संख्या-8/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-06/2017 पृष्ठ संख्या-20/टि० पर दिनांक-30.04.2019 को प्राप्त है।  
बिहार राज्यपाल के आदेश-से

ह०/-  
(प्रत्यय अमृत)  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-06/2017 /पटना, दिनांक-  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-06/2017 1167 /पटना, दिनांक- 12/05/19  
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।